महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या- 191 /2024/004-1737705

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम अयोध्या,
अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2024

विषयः- अयोध्या धाम में आगामी भव्य श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत कराये जा रहे कार्यों के धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1935/न0नि0अयो0/2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अयोध्या धाम में आगामी भव्य श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत कराये जा रहे विभिन्न कार्यों हेतु मेला मद से धनराशि रू0-6500.00 लाख आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में आगामी भव्य श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत कराये जा रहे विभिन्न कार्यों हेतु, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनायें-05- स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शिनियों हेतु व्यवस्था-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-7600.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-2639.39 लाख में से प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0-2000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 मे वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

PMgo

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) स्वीकृत धनराशि नगर आयुक्त, अयोध्या द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार मण्डलायुक्त अयोध्या एवं जिलाधिकारी अयोध्या का अनुमोदन प्राप्त कर आहरित की जायेगी एवं कार्यदायी विभाग/संस्था-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से धनराशि व्यय की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा ।

(9) जिलाधिकारी अयोध्या एवं नगर आयुक्त, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(11) उक्त कार्यों को कराये जाने के उपरान्त होने वाला वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों के भुगतान की औचित्यपूर्ण, सत्यापित एवं प्रमाणित मॉग प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि निर्गत की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by अमृत अभिजात
Date: 19-01-2024 13:01:00
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

PMgo

संख्या- 191 /2024/004-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी अयोध्या ।
4. कोषाधिकारी, अयोध्या ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

PMgo

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-19/01/2024

प्रेषण संख्या:- 191
आवंटन आदेश संख्या:- 001-191-2024-004-1737705
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000000 606561000	200000000 606561000
	योग	वर्तमान प्रगामी	200000000 606561000	200000000 606561000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया साठ करोड़ पैंसठ लाख इकसठ हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव